

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 24 नवम्बर 2023 के आदेशानुसार बैंक के निदेशक मण्डल को निरस्त किया है एवं बैंक में उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने तथा संचालन को सुव्यवस्थित करने हेतु 12 महीने की अवधि के लिए एक प्रशासक को नियुक्त किया है।

सभी जमाकर्ताओं, अंशधारकों और सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि इस बैंक का बैंकिंग परिचालन सामान्य रूप से यथावत जारी रहेगा तथा प्रधान कार्यालय के साथ शाखाओं/एटीएम में बैंकिंग गतिविधियाँ जारी रहेंगी।

प्रशासक

अभ्युदय को-ओपरेटिव बैंक लि.

**Contact details for query/ clarification between 10:00 AM to 7:00 PM:**

022-2418 0961/2410 6549/ 2411 5047/ 2410 5097